न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 7/2020 **दायर दिनांकः 21/07/2020**

उनवान

अंकिता शर्मा आयु 42 वर्ष पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री मंजीत सिंह।

आदेश दिनाकः 10/03/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम एवं माल खेडली बांसला तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 43 के ख0न0 139 का रकबा 0.20 है०, ख०न0 141 का रकबा 0.77 है०, ख०न0 142 का रकबा 0.36 है०, ख०न0 47 का रकबा 0.63 है० का कुल किता 4 का रकबा 1.96 है० भूमि में से प्रार्थीया के 1/3 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें दौराने सेटलमेन्ट आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थीया का नाम पिंकी दर्ज कर दिया जा गलत है प्रार्थीया का सही ना अंकिता शर्मा पुत्री मोहनलाल पत्नी राजेन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी अटरू है। चूंकि प्रार्थीया का विवाह हो जाने से पहचान पत्र, आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड, सरपंच प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजो में भी प्रार्थीया का नाम अंकिता शर्मा पत्नी राजेन्द्र शर्मा है। जो काबिल गौर है। प्रार्थीया का सही नाम अंकिता शर्मा जाति ब्राहमण निवासी अटरू है प्रार्थीया का गलत नाम पिंकी दर्ज करने की त्रुटि आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने दौराने सेटलमेन्ट की है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित ग्राम खेडलीबांसला की आराजी खाता संख्या 43 के ख0न0 139 का रकबा 0.20 है०, ख०न0 141 का रकबा 0.77 है०, ख०न0 142 का रकबा 0.36 है०, ख०न0 47 का रकबा 0.63 है०

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested

का कुल किता 4 का रकबा 1.96 है० जो प्रार्थीया के संयुक्त खाते में 1/3 दर्ज है। प्रार्थीया आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त करवाकर प्रार्थीया का नाम अंकिता शर्मा पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी अटरू दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा किये गये गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थीया का नाम पिंकी दर्ज कर देने से प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से ऋण आदि प्राप्त नही कर पा रही है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी से नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थीया का नाम अंकिता शर्मा के स्थान पर पिंकी अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा दर्ज किया है। इस कारण माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या खाता संख्या 43 के ख0न0 139 का रकबा 0.20 है०, ख०न0 141 का रकबा 0.77 है०, ख०न0 142 का रकबा 0.36 है०, ख०न0 47 का रकबा 0.63 है० का कुल किता 4 का रकबा 1.96 है० हिस्सा 1/3 आराजी ग्राम खेडली बांसला में प्रार्थीया का नाम अंकिता शर्मा पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी अटरू दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये की गई, अप्रार्थी को अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पेश नही करने पर जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्य प्रार्थी के अन्तर्गत PW_1 से PW_2 के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाये गये। अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थीया का नाम पिंकी के स्थान पर अंकिता शर्मा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम खेडली बांसला की खाता संख्या 43 किता 4 रकबा 1.96 है० में प्रार्थीया का नाम सहखातेदार के रूप में पिंकी पुत्री मोहनलाल दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र , आधार

कार्ड, ग्राम पंचायत अटरू का प्रमाण पत्र में अंकिता शर्मा उर्फ पिंकी शर्मा पुत्री स्व0 मोहनलाल शर्मा की पुत्री है। जो कि अटरू निवासी है। अंकिता शर्मा उर्फ पिंकी शर्मा आत्मज स्व0 मोहन लाल शर्मा पत्नी राजेन्द्र कुमार शर्मा ग्राम पंचायत अटरू में निवास करती है।

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खेडली बांसला तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 43 के ख0न0 139 का रकबा 0.20 है०, ख०न0 141 का रकबा 0.77 है०, ख०न0 142 का रकबा 0.36 है०, ख०न0 47 का रकबा 0.63 है० का कुल किता 4 का रकबा 1.96 है०। में सहखातेदार के रूप में दर्ज पिंकी पुत्री मोहनलाल के स्थान पर अंकिता शर्मा उर्फ पिंकी पुत्री मोहनलाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested